

संशोधित डिक्री

(आठ 20 नियम 6 / आठवीं)

अज अदालत उपलब्ध अधिकारी माण्डल तिला भीलवाडा राजस्थान
पंडजलास श्री सी एल शर्मा (आठवां पद)

अनुदान प्रकरण

श्री नारायण सुतवला शर्मा पिता बालु गाडरी निवासी भावलास कारखेड़ा
तहसील - माण्डल

यादी

बनाम


श्री अरान्नाथ ज० श्री लक्ष्म दुरोगा निवासी - नवलपुरा, तहसील - माण्डल
श्री अमनालात ज० श्री लक्ष्म दुरोगा निवासी - नवलपुरा तहसील - माण्डल
श्री मोहन ज० श्री एकलिंग गाडरी निवासी - भावलास कारखेड़ा, त० माण्डल
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल, तहसील - माण्डल

प्रतिपादी

याद अन्तर्गत धारा ६२ प्रक० मुकदमा न० / वर्ष २४३/॥ निर्णय दिनांक १२-६-१८
यह मुकदमा अज अदालत याद इनफिसल कतर्गें उपलब्ध अदालत व डिजरी दखाल यादी
भिनजानिय मुददई व अब्दुलरशीद पठान A/W याद भिय मुददयाला पश हाका हुक
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम भावलास
पटवार डब्का भावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में स्थित खाता सं-
१६२ में आराजी सं- १९१ रकबा ०३ बीघा ०९ बिस्वा में वादी को
डू एक हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्त आराजियात
का विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में खाता अलग से दर्ज किये जाने
का आदेश दिया जाता है।

शर्चा फरिफेन अपना- अपना बहन करे।

आज तारीख १२-६-१८ को नर चरमभर २० - माण्डल की मोहर से जलदा
गई।


उपलब्ध अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

(आ० २० नियम ६ / जा०सी०)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा पंजाब
वईजारा श्री श्री. एल. शर्मा (आ०ए०ए०)

अग्रवान प्रकरण

आराजण कुतबना रामा वी० बाबु गाडरी निवासी - भावलास कारखेड़ा त० माण्डल

वादी

बनाम


श्री जगन्नाथ वी० श्री लक्ष्म देरोगा निवासी - जवलपुरा, तहसील - माण्डल
श्री जगन्नाथ वी० श्री लक्ष्म देरोगा निवासी - जवलपुरा, तहसील - माण्डल
श्री मोहन वी० श्री एकलिंग गाडरी निवासी - भावलास कारखेड़ा त० माण्डल
राजस्थान राज्य करिये तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवाद

वाद अदालत आराजण कुतबना मुकदमा नं० / वर्ष २८३॥ निर्णय दिनांक २७-५-१८
सह मुकदमा आज अदालत वाद इन्फिर्मल कर्तव्य रूप अदालत व डिप्टी वकील वादी
विनयानिय मुकदमै व आहुल्य रशीद पान - कालाभिय मुदाबला पेश होकर हुकम
दिया जाता है कि डिप्टी वी जाती है कि आतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम
भावलास पखार हका भावलास तहसील - माण्डल जिला - भीलवाड़ा
में स्थित खाता सं. १६२ में आराजी नं. - १९) रकबा ०३ बीघा ०९
बिस्वा में वादी को १/२ एक हिस्से का खातेदार घोषित किया
है।

खर्चा करिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख २७-५-१८ को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मोहर से जारी की
गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल सांडल जिला भीलवाड़ा